

बिहार गजट

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 भाद्र 1940 (श0) (सं0 पटना 828) पटना, शुक्रवार,7 सितम्बर 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना ७ सितम्बर २०१८

एस० ओ० 231 दिनांक 7 सितम्बर 2018—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, यथा :—

- 1. (1) यह नियमावली बिहार माल और सेवा कर (आठवाँ संशोधन) नियमावली, 2018 कही जा सकेगी।
 - (2) इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, ये दिनांक 04 सितम्बर, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।
- 2. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 22 के उपनियम (4) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु जहां कोई व्यक्ति, धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) में अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन के लिए उपनियम (1) के अधीन तामील की गई सूचना का उत्तर देने के बजाए, सभी लंबित विवरणियां देता है और लागू ब्याज और विलंब शुल्क के साथ शोध्य कर का पूरा संदाय कर देता है, वहां उचित अधिकारी, कार्यवाहियों को समाप्त कर देगा और प्ररूप जीएसटी आरईजी-20 में आदेश पारित करेगा।"।

- 3. उक्त नियमावली के नियम 36 के उपनियम (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :--
 - "परंतु यदि उक्त दस्तावेज में सभी विनिर्दिष्ट विशिष्टियां अंतर्विष्ट नहीं है, किंतु प्रभारित कर की रकम के ब्यौरे, माल या सेवाओं का विवरण, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय का कुल मूल्य, प्रदायकर्ता और प्राप्तिकर्ता का माल और सेवा कर पहचान संख्यांक और अंतर्राज्यिक प्रदाय की दशा में प्रदाय का स्थान अंतर्विष्ट है तो, ऐसे रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग किया जा सकेगा।"।
- 4. उक्त नियमावली के नियम **55** के उपनियम **(5)** में, "या पूर्णतया नाक्ड-डाऊन स्थिति" शब्दों के पश्चात्, "या बैचों अथवा लाटों" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।
- 5. उक्त नियमावली के नियम 89 के उपनियम (4) के खंड (3) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--
 - '(उ) "समायोजित कुल आवर्त" से, सुसंगत अविध के दौरान--
 - (क) धारा 2 के खंड (112) के अधीन यथा परिभाषित, किसी राज्य या किसी संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त का, सेवाओं के आवर्त को छोड़कर ; और
 - (ख) उपरोक्त खंड (ई) के निबंधनों में अवधारित सेवाओं के शून्य-दर प्रदाय और सेवाओं के गैर-शून्य दर प्रदाय के आवर्त के मूल्य का कुल योग अभिप्रेत है, जिसमें,--
 - (i) शून्य-दर प्रदायों से भिन्न छूट प्राप्त प्रदायों का मूल्य ; और
 - (ii) ऐसे प्रदायों का आवर्त, जिनके संबंध में उपनियम (4अ) या उपनियम (4आ) या दोनों के अधीन प्रतिदाय, यदि कोई हो, का दावा किया गया है, सम्मिलित नहीं है ।'।
- 6. उक्त नियमावली के नियम 96 के उपनियम (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम, 23 अक्तूबर, 2017 से रखा जाएगा, अर्थात् :--
 - "(10) माल या सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्तियों को.--
 - (क) ऐसे प्रदाय प्राप्त नहीं करने चाहिए, जिन पर बिहार गजट असाधारण अंक में संख्या 982 दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित नाणिज्य कर निभाग की अधिसूचना एस ओ 249 दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 या बिहार गजट असाधारण अंक में संख्या 996 दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित नाणिज्य कर निभाग की अधिसूचना सं. 40/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 1321(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 41/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 के फायदों का उपयोग किया है; या
 - (ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 1272(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 78/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 1299(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 79/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 के फायदों का उपयोग नहीं करना चाहिए।"।
- 7. उक्त नियमावली के नियम **138**क के उपनियम **(1)** में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि आयातित माल की दशा में, प्रवहण का भारसाधक व्यक्ति, ऐसे माल के आयातकर्ता द्वारा फाइल किए गए प्रवेश पत्र की प्रति का भी वहन करेगा और प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में प्रवेश पत्र की संख्या और तारीख उपदर्शित करेगा।"।

8. उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-20 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात :--

"जीएसटी आरईजी-20

[नियम 22(4) देखें]

संदर्भ संख्या - तारीख : सेवा में

नाम पता

माल और सेवा कर पहचान संख्यांक/यूआईएन कारण बताओ सूचना संख्या -

तारीख:

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण हेतु कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिए आदेश

ऊपर निर्दिष्ट कारण बताओ सूचना के जवाब में आपके द्वारा एआरएन तारीख द्वारा फाइल किए गए उत्तर को निर्दिष्ट करें । आपके उत्तर और/या सुनवाई के दौरान दी गई दलीलों पर विचार करने पर, रिजस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए आरंभ की गई कार्यवाहियां निम्नलिखित कारणों से रद्द की जाती हैं :

<< पाठ >>

या

ऊपर निर्दिष्ट कारण बताओ सूचना बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए जारी की गई थी । चूंकि आपने पूर्वोक्त सूचना के जारी करने की तारीख को बकाया सभी लंबित विवरणियां फाइल कर दी हैं, और लागू ब्याज और विलंब फीस के साथ कर का पूर्ण संदाय कर दिया है, अत: रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए आरंभ की गई कार्यवाहियां समाप्त की जाती हैं ।

हस्ताक्षर < अधिकारी का नाम >

स्थान :		पदनाम

Rkkjh[k: अधिकारिता

9. उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी आईटीसी-04 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--"जीएसटी आईटीसी-04

[नियम 45(3) देखें]

छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजे गए और उससे वापस प्राप्त माल/पूंजी माल के ब्यौरे

- 1. माल और सेवा कर पहचान संख्यांक --
- 2. (क) विधिक नाम -
 - (ख) व्यापार का नाम, यदि कोई है -
- 3. अवधि :

तिमाही -

वर्ष -

4. छुटपुट कार्य के लिए भेजे गए इनपुटो/पूंजी माल के ब्यौरे (जिसमें छुटपुट) कार्य करने वाले कर्मकार के कारबार के स्थान/परिसर पर सीधे भेजे गए इनपुट/पूंजी माल भी हैं):

माल और सेवा कर पहचान							माल का प्रकार		कर की	दर %	
संख्यांक/अरजिस्ट्रीकृत छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार की दशा में राज्य	चालान संख्यांक	चालान तारीख	माल का विवरण	यूक्यूसी	मात्रा	कराधेय मूल्य	(इनपुट/ पूंजी माल)	केंद्रीय कर	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- 5. छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार से वापस प्राप्त या छुटपुट कार्य के कारबार के स्थान से बाहर भेजे गए इनपुटों/पूंजी माल के ब्यौरे :
- (क) छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार से, जिसे ऐसा माल छुटपुट कार्य के लिए भेजा गया था, वापस प्राप्त इनपुटो/पूंजी माल ; और नुकसानों और अपशिष्टों के ब्यौरे :

माल और सेवा कर पहचान संख्यांका छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार, यदि अरजिस्ट्रीकृत है, का राज्य	छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा जारी चालान संख्यांक, जिसके अधीन माल वापस प्राप्त हुआ है	छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा जारी चालान की तारीख, जिसके अधीन माल वापस प्राप्त हुआ है चालान तारीख	माल का विवरण	यूक्यूसी	मात्रा	मूल चालान संख्यांक, जिसके अधीन माल छुटपुट कार्य के लिए भेजा गया था	मूल चालान की तारीख, जिसके अधीन माल छुटपुट कार्य के लिए भेजा गया था	छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा किए गए छुटपुट कार्य की प्रकृति	यूक्यूसी ६६	ञ्सान गौर गिशष्ट
1	2*	3*	4	5	6	7*	8*	9	10	11

(ख) छुटपुट कार्य करने वाले ऐसे कर्मकार से, जिसे मूल रूप से ऐसा माल छुटपुट कार्य के लिए भेजा गया था, भिन्न छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार से वापस प्राप्त इनपुटों/पूंजी माल;और नुकसानों और अपशिष्टों के ब्यौरे :

माल और सेवा कर पहचान संख्यांका छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार, यदि अरजिस्ट्रीकृत है, का राज्य	छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा जारी चालान संख्यांक, जिसके अधीन माल वापस प्राप्त हुआ है	छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा जारी चालान की तारीख, जिसके अधीन माल वापस प्राप्त हुआ है चालान तारीख	माल का विवरण	यूक्यूसी	मात्रा	मूल चालान संख्यांक, जिसके अधीन माल छुटपुट कार्य के लिए भेजा गया था	मूल चालान की तारीख, जिसके अधीन माल छुटपुट कार्य के लिए भेजा गया था	छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा किए गए छुटपुट कार्य की प्रकृति	3	सान गैर शिष्ट
1	2*	3.	4	5	6	7*	8*	9	10	11

(ग) छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजे गए और तत्पश्चात् छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार के परिसर से प्रदाय किए गए इनपुटों/पूंजी माल ; और नुकसानों और अपशिष्टों के ब्यौरे :

माल और सेवा कर पहचान संख्यांक। छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार, यदि अरजिस्ट्रीकृत है, का राज्य	प्रमुख द्वारा जारी छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा प्रदाय की दशा में बीजक संख्यांक	प्रमुख द्वारा जारी छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा प्रदाय की दशा में बीजक की तारीख	माल का विवरण	यूक्यूसी	मात्रा	मूल चालान संख्यांक, जिसके अधीन माल छुटपुट कार्य के लिए भेजा गया था	मूल चालान की तारीख, जिसके अधीन माल छुटपुट कार्य के लिए भेजा गया था	छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा किए गए छुटपुट कार्य की प्रकृति	पूर्व्यसी अन्यसी	क्रसान और पशिष्ट
1	2	3	4	5	6	7*	8*	9	10	11

अनुदेश :

- 1. एकल चालान के लिए मदों की बहु प्रविष्टियां भरी जाएं ।
- 2. उन मामलों में, जिनमें छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा नए चालान जारी करना अपेक्षित है, सारणी (क) और सारणी (ख) के स्तंभ 2 और स्तंभ 3 आज्ञापक है।
- 3. जहां छुटपुट कार्य के लिए भेजे गए माल और छुटपुट कार्य के बाद प्राप्त माल के बीच आपस में पत्राचार संभव नहीं है, वहां सारणी (क), सारणी (ख) और सारणी (ग) के स्तंभ 7 और स्तंभ 8 न भरे जाएं।

6. सत्यापन

मैं एतदद्वारा सत्यिनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है । स्थान:

तारीख

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम......

पदनाम/प्रस्थिति

10. उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी० आर-8 के पश्चात निम्नलिखित प्ररूप अतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

उपाबंध-क

वार्षिक विवरणी

			प जी एस टी उ			
			(नियम 80 देखें) वार्षिक विवरणी			
पीटी. I			मूल ब्य	>-		
1	वित्तीय वर्ष		α (
2	जी एस टी आई एन					
3क	विधिक नाम					
3ख	व्यापार नाम (यदि कोई हो)					
पीटीII	वित्तीर	य वर्ष के दौर	रान घोषित जावव	क्र और आवक प्रद	ायों के ब्यौरे	
				(सभी सार्रा	णेयों में रकम रुप	ये में)
	प्रदायों की प्रकृति	कराधेय मूल्य	केंद्रीय कर	राज्यकर/संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6
	वित्तीयवर्ष के दौरान फाइल	विवरणी में ज			है, पर अग्रिम, अ	ावक और जावक
4			प्रदाय के	⁻ ब्यौरे		
क	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदाय (ख2ग)					
ख	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदाय (ख2ख)					
ग	कर संदाय (विशेष आर्थिक जोनों से भिन्न) शून्य रेटेड प्रदाय (निर्यात)					
घ	कर संदाय पर विशेष आर्थिक जोन को प्रदाय					
ਫ.	समझा गया निर्यात					
ਹ	अग्रिम जिस पर कर संदत्त हैं, परंतु बीजक जारी नहीं किए गए हैं (उपर्युक्त (क) से (ड.) के अधीन समावेशित नहीं है					
छ	आवक प्रदाय जिस पर रिवर्स भार के आधार पर कर संदत्त किया जाना है					
ज	आंशिक योग (उपर्युक्त क से छ तक)					
झ	उपर्युक्त (ख) से (ड.) में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में जारी साखपत (-)					_

স	उपर्युक्त (ख) से (ड.) में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में जारी नामे नोट (+)			
ਟ	संशोधनों (+) के माध्यम से घोषित प्रदाय / कर			
ठ	संशोधनों (-) के माध्यमसे घटी हुई प्रदाय / कर			
ड	(उपर्युक्त झ से ठ) का आंशिक योग			
ढ	प्रदाय और अग्रिम जिस पर संदत्त किया जाना है, उपर्युक्त (ज+ड)			

ऐसे जावक प्रदायों के ब्योरे जिस पर, वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई विवरणियों में यथाघोषित कर संदेय नहीं है

		1		Ī	1
क	कर संदाय के बिना शून्य रेटेड प्रदाय (निर्यात)				
ख	कर संदाय के बिना विशेष आर्थिक जोनों की प्रदाय				
ग	प्रदाय जिस पर उलटे गए भार के आधार पर प्राप्तिकर्ता द्वारा संदाय किया जाना है				
घ	छूट- प्राप्त				
ਤ.	शून्य रेटेड				
च	गैर – जी एस टी प्रदाय				
छ	आंशिक योग (उपर्युक्त क से छ)				
ज	उपर्युक्त (क) से (छ) में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में जारी साखपत (-)				
झ	उपर्युक्त (क) से (छ) में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में जारी नामे नोट (+)				
অ	संशोधनों (+) के माध्यमसे घोषित प्रदाय				
ਟ	संशोधनों (-) के माध्यम से घटी हुई प्रदाय				
ठ	आंशिक योग (उपर्युक्त ज से टी)				
ड	आवर्तन जिस पर संदत्त किया जाना है, उपर्युक्त (छ+ढ)				
ढ	कुल आवर्तन (अग्रिम सहित) उपर्युक्त 4ढ + 5ड -4छ)				

पी<u>। III</u> वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल विवरणियों में घोषित रुप में आई टीसी के ब्योरे

विवरण	प्रकार	केंद्रीय कर	राज्यकर/ससंघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6

वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल विवरणियों में घोषित रुप में उपयोग किए गए आई टीसी के ब्योरे

	प्ररुप जी एस टी आर-3ख व					
क	की गई निवेश कर प्रत्यय क	_				
	जी एस टी आर – 3ख के	सारणी 4क कर कुल				
	जोड़)	63-	< आटो>	< आटो >	< आटो >	< आटो >
	आवक प्रदाय (रिवर्स भार	निवेश				
ख	के लिए दायी आयातों और आवक प्रदायों से भिन्न	पूंजी माल				
	परंतु विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त सेवाएं सम्मिलित हैं)	निवेश सेवाएं				
	रिवर्स भार (उपर्युक्त ख से	निवेश				
	भिन्न) के लिए दायी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से	पूंजी माल				
ग	प्राप्त आवक प्रदाय जिस पर कर संदत्त और आईटीसी का उपभोग किया गया है	निवेश सेवाएं				
	रिवर्स भार (उपर्युक्त ख से	निवेश				
	भिन्न) के लिए दायी	पूंजी माल				
घ	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक प्रदाय जिस पर कर संदत्त है और आईटीसी का उपभोग किया गया है	निवेश सेवाएं				
ड.	मालों का आयात (विशेष	निवेश				
٥.	आर्थिक जोनों से प्रदाय शामिल)	पूंजी माल				
च	सेवाओं का आयात (विशेष आवक प्रदाय छोड़कर)	। आर्थिक जोनों से				
छ	आई एस डी से प्राप्त निवेश					
ज	अधिनियम के उपबंधों के अधीन पुननिर्मित आईटीसी की रकम (उपर्युक्त ख से भिन्न)					_
झ	आंशिक योग (उपर्युक्त ख से ज)					
ञ	अंतर (उपर्युक्त					
ਟੀ	टी आर ए एन-। के माध्य	मसे संक्रमण प्रत्यय				
	(पुनरीक्षण सहित, य	दि कोई हो)				
ਰ	टी आर ए एन-11 के माध्य	मसे संक्रमण प्रत्यय				

ड	5	उपभोग की गई किन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं की गई कोई अन्य आईटीसी		
ढ	5	आंशिक योग (उपर्युक्त ट से ड तक)		
σ	T	उपभोग की गई कुल आई टी सी (उपर्युक्त झ + ढ)		

7	वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल विवरणियों में	घोषित रुप में ब्यौरे	प्रतिवर्ती आई टी	सी के और अपा	त्र आई टी सी के
क	↑				
•	नियम 37 के अनुसार				
ख	नियम 3 9 के अनुसार				
ग	नियम 42 के अनुसार				
घ	नियम 43 के अनुसार				
ड.	धारा 17 (5) के अनुसार				
च	टी आर ए एन – I प्रत्यय का उलटाव				
छ	टी आर ए एन – 11 प्रत्यय का उलटाव				
ज	अन्य उलटाव (कृपया विनिर्दिष्ट करें)				
झ	कुल प्रतिवर्तित आई टी सी (उपर्युक्त क से ज)				
স	उपयोग के लिए उपलब्ध शुद्ध आई टी सी (6ण-7झ)				

8	सूचना	से संबंधित अ	न्य आई टी सी		
क	जी एस टी आर -2क के अनुसार आई टी सी	< आटो>	< आटो >	< आटो>	< आटो>
ख	उपर्युक्त 6(ख) और 6(ज) की कुल रकम के अनुसार आई टी सी	< आटो>			
ग	वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त आवक प्रदाय पर आई टी सी (रिवर्स भार के लिए दायी आयातों और आवक प्रदायों से भिन्न) परंतु विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त सेवाओं सहित) परंतु अप्रैल से सितंबर, 2018 के दौरान उपभोग किए गए				
घ	अंतर (क- ख+ग)				
ਭ.	उपलब्ध आई टी सी परंतु उपभोग न की गई (घ में से)				
च	उपलब्ध आई टी सी परंतु अनुपयुक्त (घ में से)				
छ	मालों के आयात पर संदत्त आई जीएसटी (विशेष आर्थिक जाने से प्रदाय सहित)				
ज	मालों के आयात पर उपभोग की गई आई जीएसटी प्रत्यय (उपर्युक्त 6(ड.) के	< आटो>			

	अनुसार				
झ	अंतर (छ-ज)				
ञ	मालों के आयात पर उपलब्ध आई टी सी परंतु उपयोग न की गई (झ के समान)				
	चालू वित्तीयवर्ष में व्ययगत होने वाला कुल आई टी सी (ड. +च + ञ)	< आटो>	< आटो>	< आटो>	< आटो>

पी□ी. IV	वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल विवरणियों में घोषित रुप में संदत्त कर के ब्यौरे								
				आई टी सी के माध्यम से संदत्त					
9	विवरण	संदेय कर	संदत्त	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	समेकित कर	उपकर		
	1	2	3	4	5	6	7		
	एकीकृत कर								
	केंद्रीय कर								
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र								
	कर								
	उपकर								
	ब्याज								
	विलंब फीस								
	शास्ति								
	अन्य								

पीटी. V चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर तक की विवरणियों में घोषित पूर्व वितीय वर्ष के या पूर्व वितीय वर्ष की वार्षिक विवरणी के फाईल किए जाने की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, संव्यवहारों की विशिष्टियां

	विवरण	संदेय मूल्य	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6
	संशोधनों (+) के माध्यम से					
10	घोषित प्रदाय / कर(शुद्ध					
	नामे नोट)					
	संशोधनों (-) के माध्यम से					
11	घटी हुई प्रदाय/ कर(शुद्ध					
	साख पत्र)					
	पूर्व वित्तीयवर्ष के दौरान उपभोग की गई आई टी					
12	उपभाग का गई आई टा सी का उलटाव					
13	पूर्व वितीय वर्ष के लिए उपभोग की गई आईटीसी					

विविरण	संदेय	संदत्त
1	2	3
एकीकृत कर		
केंद्रीय कर		
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर		
उपकर		
ब्याज		

पी□ी. VI	अन्य जानकारी
15	मांग और प्रतिदाय का विवरण

	ब्यौरा	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	ब्याज	शास्ति	विलंब फीस/ अन्य
	1	2	3	4	5			
क	कुल दावाकृत प्रतिदाय							
ख	कुल मंजूर प्रतिदाय							
ग	कुल अस्वीकृत प्रतिदाय							
घ	कुल लंबित प्रतिदाय							
ਭ.	कुल करों की मांग							
च	उपर्युक्त ड. के संबंध में संदत्त कुल कर							
छ	उपर्युक्त ड. में से लंबित कुल मांग							

धारा 143 के अधीन समिश्रण कर दाताओं, समझी गई प्रदाय से प्राप्त प्रर्तियों पर जानकारी और अनुमोदन आधार पर भेजा गया माल

	ब्यौरे	संदेय मूल्य	केंद्रीय कर	राज्य कर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6
क	समिश्रण करदाताओं से प्राप्त प्रदाय					
ख	धारा 143 के अधीन समझी गई प्रदाय					
ग	अनुमोदन आधार पर भेजा गया माल, जो वापस नहीं आया					

5

3

17		जावक प्रदाया का साराश वार एचएसएन									
एच एस एन कोड	यू क्यू सी	कुल परिमाण	संदेय मूल्य	कर की दर	केंद्रीय कर	राज्य कर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर			

18		आवक प्रदायों का एचएसएन वार सारांश							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
एच एस एन कोड	यू क्यू सी	कुल परिमाण	संदेय मूल्य	कर की दर	केंद्रीय कर	राज्य कर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	

19	संदेय और संदत्त विलंब फीस								
	विवरण	संदेय	संदत						
	1	2	3						
क	केंद्रीय कर								
ख	राज्य कर								

सत्यापन :

में, सत्यिनिष्ठा से पृष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है तथा आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती की दशा में उसके लाभ को प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को प्रदान कर दिया गया है/कर दिया जाएगा।

हस्ताक्षर

7

स्थान : प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता का नाम

तारीख: पदनाम/प्रास्थिति

अनुदेश :--

1. प्रयुक्त पद :

क. जीएसटीआईएन: माल और सेवा कर पहचान संख्या

ख. यूक्यूसी : यूनिट मात्रा कूट

ग. एचएसएन : नाम पद्धति कूट की सुमेलित पद्धति

- 2. इस विवरणी में जुलाई, 2017 से मार्च 2018 के बीच की अवधि के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाएं ।
- 3. भाग II में वित्त वर्ष के दौरान सभी जावक प्रदायों और प्राप्त अग्रिम के ब्यौरे हैं, जिनके लिए वार्षिक विवरणी फाइल की गई है। भाग 2 में फाइल किए गए ब्यौरे वित्त वर्ष के दौरान करदाता द्वारा फाइल की गई विवरणियों में घोषित सभी प्रदायों का समेकन है। भाग 2 को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए अनुसार है:

सारणी सं.	अनुदेश
4 क.	उपभोक्ताओं और अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर
	संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इनमें ई-वाणिज्य प्रचालकों के माध्यम से की
	गई प्रदायों के ब्यौरे सम्मिलित होंगे और उनकी इस संबंध में जारी किए गए जमा पत्र या
	नामे नोट के शुद्ध के रूप में घोषणा की जानी है । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप
	जीएसटीआर-1 की सारणी 9 और सारणी 10 में क्रमश: संशोधनों के साथ सारणी 5, सारणी-7

सारणी सं.	अनुदेश
	का उपयोग किया जा सकेगा ।
4ख.	रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य(जिसके अंतर्गत यूआईएन को किए गए प्रदाय भी हैं) जिस पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इनमें ई-वाणिज्यिक प्रचालकों के माध्यम से की गई प्रदाय सम्मिलित होंगी किंतु इनमें ऐसी प्रदाय सम्मिलित नहीं होंगी, जिन पर प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर का संदाय किया जाना है । नामे नोट और शाख पत्रों के ब्यौरों का पृथक रूप से वर्णन किया जाना है । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4क और सारणी 4ग का उपयोग किया जा सकेगा ।
4 ग.	निर्यात का समग्र मूल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय), जिस पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकेगा ।
4 घ.	विशेष आर्थिक जोन को प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा।
4 ङ.	समझे गए निर्यात की प्रकृति की प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ग का उपयोग किया जा सकेगा ।
4 च.	असमायोजित अग्रिमों के ब्यौरे, अर्थात् अग्रिम प्राप्त किया गया है और कर संदत्त किया गया है किंतु चालू वर्ष में बीजक जारी नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 11क का उपयोग किया जा सकेगा ।
4 छ.	सभी आवक प्रदायों का समग्र मूल्य (जिसके अंतर्गत अग्रिम और शुद्ध प्रत्यय और नामे नोट भी हैं) जिन पर कर का प्राप्तिकर्ता द्वारा (अर्थात वार्षिक विवरणी फाइल करने वाले व्यक्ति द्वारा) रिवर्स प्रभार आधार पर संदाय किया जाना है । इसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त प्रदाय यां हैं, जिन पर अनुलोम प्रभार आधार पर कर उदग्रहित किया गया है । इसके अंतर्गत सभी सेवाओं के आयात का समग्र मूल्य भी सम्मिलित होगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1(घ) का उपयोग किया जा सकेगा ।
4 झ.	एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदायों (4घ) का समग्र मूल्य और समझे गए निर्यात (4ङ) की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा ।
4 ञ.	एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों (4घ) का समग्र मूल्य और समझे गए निर्यात (4ङ) की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा।
4 ट और 4 ठ.	एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदाय (4घ) में किए गए संशोधनों के ब्यौरे और समझा गया निर्यात (4ङ), जमा पत्र (4झ), नामे नोट (4ञ) तथा प्रतिदाय बाउचरों की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क और सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकेगा ।

सारणी सं.	अनुदेश						
5 क.	निर्यात का समग्र मूल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय) जिस पर कर						
	संदत्त नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप						
	जीएसटीआर-1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकेगा ।						
5 ख.	विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत्त नहीं किया गया						
	है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी						
	6ख का उपयोग किया जा सकेगा ।						
5ग.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुलोम						
	प्रभार आधार पर कर संदेय है । नामे नो□ और शाख पत्रों के ब्यौरों की घोषणा पृथक् रूप से						
	की जानी है । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4ख का उपयोग						
5 घ . 5 ङ और	किया जा सकेगा । छूट प्रदान किए गए, शून्य दर तथा गैर जीएसटी प्रदायों की यहां घोषणा की जाएगी । इन						
5 च.	ब्रूट प्रदान किए गर, शून्य दर तया गर जिल्सिटा प्रदाया की यहा यावणा की जिल्ला । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 8 का उपयोग किया जा						
54.	सकेगा । "जिसे प्रदाय नहीं माना गया है" के मूल्य की भी घोषणा यहां की जाएगी ।						
5 ज.	5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ङ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र						
	मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की						
	सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा ।						
5 झ.	5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ङ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट के समग्र						
	मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की						
	सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा ।						
5 ञ और 5 ट.	निर्यात (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय) में किए गए संशोधनों के ब्यौरे और						
	विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदाय यां, जिन पर कर संदत्त नहीं किया गया है, की यहां						
	घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ग का						
	उपयोग किया जा सकेगा ।						
5 ढ.	कुल आवर्त, जिसके अंतर्गत सभी प्रदायों (अतिरिक्त प्रदायों और संशोधनों सहित) का योग						
	सम्मिलित है, जिस पर कर संदेय है और कर संदेय नहीं है, की यहां घोषणा की जाएगी ।						
	इसके अंतर्गत अग्रिम की रकम भी सम्मिलित होगी, जिस पर कर संदत्त किया गया है, किंतु						
	चालू वर्ष में बीजक जारी नहीं किए गए हैं । तथापि, इसमें आवक प्रदायों का ऐसा समग्र मूल्य						
	सम्मिलित नहीं होगा, जिस पर प्राप्तिकर्ता (अर्थात् वार्षिक विवरण फाईल करने वाले व्यक्ति						
	द्वारा) रिवर्स प्रभार आधार पर कर संदत्त किया गया है ।						

4. भाग III में लिए गए सभी इनपुट कर प्रत्यय और वित्त वर्ष में उलट दिए गए कर प्रत्यय के ब्यौरे हैं, जिनके लिए वार्षिक विवरणी फाइल की जाती है। इस भाग को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए गए अनुसार है:

	184 11 114 6 1 84 11 11 14 14 14 13 13 13 13 14 15
सारणी सं.	अनुदेश
6 क.	करदाता के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4ख में लिए गए कर प्रत्यय को स्वत:
	यहां दिया जाएगा ।
6 ख.	सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य, सिवाय उनके जिन पर कर
	अनुलोम प्रभार आधार पर संदेय है, किंतु इसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन से प्राप्त सेवाओं
	की प्रदाय की यहां घोषणा की जाएगी । यह नोट किया जा सकता है कि लिए गए कुल
	इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में
	वर्गीकृत किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी

	4(क)(5) का उपयोग किया जा सकेगा ।					
	जिसमें ऐसी आईटीसी सम्मिलित नहीं होगी जिसका उपभोग, रिवर्स किया गया था और तत्पश्चात्					
	आईटीसी लेजर में उसका पुन: दावा किया गया था। इसकी घोषणा नीचे 6(ज) में प्रथक रूप					
OTT.	से की जानी चाहिए। अरिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र					
6ग.	मूल्य, (सेवाओं के आयात से भिन्न), जिन पर कर अनुलोम प्रभार आधार पर संदेय है, की यहां					
	घोषणा की जाएगी । यह नोट किया जा सकता है कि लिए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को					
	इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।					
	इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(3) का उपयोग किया					
	जा सकेगा ।					
6 घ.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र					
	मूल्य, जिन पर कर अनुलोम प्रभार आधार पर संदेय है, की यहां घोषणा की जाएगी । यह नोट					
	किया जा सकता है कि लिए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट, पूंजी माल और इनपुट					
	सेवाओं पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए					
	प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(3) का उपयोग किया जा सकेगा ।					
6 퍟.	मालों के आयात पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे, जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोनों					
	से प्राप्त मालों की प्रदाय भी है, की यहां घोषणा की जाएगी । यह नोट किया जा सकता है					
	कि लिए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट और पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप					
	में वर्गीकृत किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी					
	4(क)(1) का उपयोग किया जा सकेगा ।					
6 च.	सेवाओं के आयात (विशेष आर्थिक जोनों से जावक प्रदायों को अपवर्जित करते हुए) पर					
	गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए					
	प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(2) का उपयोग किया जा सकेगा । इनपुट सेवा वितरक से प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी ।					
6 ਚ.	इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(4) का उपयोग किया					
	जा सकेगा ।					
6 ज.	अधिनियम के उपबंधों के अधीन उपभोग किए गए, उलटे गए और पुन: दावा किए गए इनपुट					
	कर प्रत्यय की समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी ।					
6অ.	प्ररूप जीएसटीआर-3ख के माध्यम से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की कुल रकम और पंक्ति ख					
	से ज में घोषित इनपुट कर प्रत्यय के बीच के अंतर की यहां घोषणा की जाएगी । आदर्श रूप					
6 ਟ.						
6 ਰ.						
	। अंतरण प्रत्ययं के ब्यारा का यहां घाषणा का जाएगा । 					
6 ਤ	उपभोग किए गए ऐसे आईटीसी के ब्यौरे जो उपरोक्त 6ख से 6ठ के अधीन विनिर्दिष्ट किसी					
7 क, 7 ख.						
7 ग, 7 घ,	43 के अधीन अपेक्षित पात्र न होने या उल□ने के कारण उलो गए इनपु□ कर प्रत्यय के ब्यौरों					
7 ङ, 7 च,	की यहां घोषणा की जाएगी । इस स्तंभ में बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की					
6ਟ. 6ੋਂਟ. 6ੋਂਟ 7क, 7ख, 7ग, 7ਬ,	से ज में घोषित इनपुट कर प्रत्यय के बीच के अंतर की यहां घोषणा की जाएगी । आदर्श रूप में यह रकम शून्य होनी चाहिए । प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1, जिसके अंतर्गत टीआरएएन-1 (चाहे आरोही या अधोमुखी हो) का पुनरीक्षण है, को फाइल करने पर इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही में प्राप्त अंतरण प्रत्यय के ब्यौरों, यिद कोई हों, की यहां घोषणा की जाएगी । प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-2 को फाइल करने के पश्चात् इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही में प्राप्त अंतरण प्रत्यय के ब्यौरों की यहां घोषणा की जाएगी । उपभोग किए गए ऐसे आईटीसी के ब्यौरे जो उपरोक्त 6ख से 6ठ के अधीन विनिर्दिष्ट किसी शीर्ष के अंतर्गत नहीं आते हैं, घोषित किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष में प्ररूप आईटीसी-01 और प्ररूप-आईटीसी-02 के माध्यम उपभोग किए गए आईटीसी के ब्यौरे यहाँ घोषित किए जाएंगे। बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 37, नियम 39, नियम 42 और नियम 43 के अधीन अपेक्षित पात्र न होने या उल□ने के कारण उल्ले गए इनपु□ कर प्रत्यय के ब्यौरों					

7 छ और	धारा 17(5) के अधीन उलटे गए किसी इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे और प्ररूप जीएसटी							
7 ज	टीआरएएन-1 या प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-2 के अधीन दावा किए गए अंतरण प्रत्यय, जो							
	पात्र नहीं है, जिसे पश्चातवर्ती रूप से उलट दिया गया है, के ब्यौरे भी अंतर्विष्ट होने चाहिए ।							
	इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख) का उपयोग किया जा							
	सकेगा । प्ररूप आईटीसी-03 के माध्यम से उलटे गए किसी आईटीसी को 7ज में घोषित किया							
	जाएगा।							
8क.	वर्ष 2017-18 के दौरान और प्ररूप जीएसटीआर-2ख में दर्शाया गया आवक प्रदायों के लिए							
	उपलब्ध प्राप्त कुल प्रत्यय (आयात और अनुलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदायों से भिन्न,							
	किंतु जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन से प्राप्त सेवाएं हैं) को इस सारणी में स्वत: दर्शाया							
	जाएगा । यह उन सभी इनपुट कर प्रत्ययों का समग्र होगा, जिनकी तत्स्थानी प्रदाय कारों द्वारा							
	अपने प्ररूप जीएसटीआर-1 में घोषणा की गई है ।							
8ख.	सारणी 6ख में यथा घोषित इनपुट कर प्रत्यय को यहां स्वत: दिखाया जाएगा ।							
8ग.	सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य (सिवाय उन, जिन पर							
	अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है, किंतु इसमें जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के दौरान							
	विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त सेवाओं की प्रदाय) किंतु ऐसे प्रत्यय की, जिसका अप्रैल से							
	सितंबर, 2018 के बीच उपभोग किया गया है, यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने							
	के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(5) का उपयोग किया जा सकेगा ।							
8ङ और	इनपुट कर प्रत्यय, जो प्ररूप जीएसटीआर-2क (केवल सारणी-3 और सारणी-5) में उपलब्ध था							
8च.	किंतु जिसको किसी प्ररूप जीएसटीआर-3ख विवरणी में नहीं लिया गया है, की यहां घोषणा की							
	जाएगी । उस प्रत्यय को प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जो उपलब्ध था किंतु जिसको							
	नहीं लिया गया है या प्रत्यय को नहीं लिया गया क्योंकि वह पात्र नहीं था । दोनों पंक्तियों का							
	कुल योग 8घ में के अंतर के बराबर होना चाहिए।							
8छ.	वित्त वर्ष के दौरान आयात के समय संदत्त आईजीएसटी (जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जाने से							
	आयात हैं) के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी ।							
8 ज.	सारणी 6ङ में घोषित इनपुट कर प्रत्यय को यहां स्वत: दर्शित किया जाएगा ।							
8 ਟ.	कुल इनपुट कर प्रत्यय, जो चालू वित्त वर्ष के लिए व्यपगत हो जाएगा, की इस पंक्ति में							
	संगणना की जाएगी ।							

- 5. भाग IV वित्त वर्ष के दौरान संदत्त वास्तविक कर है । प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 6.1 के अधीन कर के संदाय का इन ब्यौरों को भरने के लिए उपयोग किया जा सकेगा ।
- 6. भाग V में पूर्व वित्तीय वर्ष के संव्यवहार की विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं किन्तु जिनकी घोषणा चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर की विवरणी में या पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी फाईल करने की तारीख को (उदाहरण के लिए वित्तीय 2017-2018 के लिए वार्षिक विवरणी में वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए अप्रैल से सितंबर 2018 में घोषित संव्यवहारों की घोषणा की जाएगी), इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, घोषित किया गया है। भाग 5 को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए अनुसार हैं:

सारणी सं.	अनुदेश
10 और 11.	पूर्व वित्त वर्ष की विवरणियों में पहले ही घोषित किसी आप्रदाय में वर्धन या संशोधन के ब्यौरे किंतु ऐसे संशोधनों को चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर के प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क, सारणी 9ख और सारणी 9ग में या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख को, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हों, में घोषित किया गया था, यहां घोषित किए जाएंगे।

12.	इनपुट कर प्रत्यय के उलटने का समग्र मूल्य, जिसको पूर्व वित्त वर्ष के दौरान लिया गया था, किंतु जिसको चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर मास के लिए फाइल विवरणी में उलट दिया गया था या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी पारित करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, को यहां					
	घोषित किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख) का उपयोग किया जा सकेगा ।					
13	पूर्व वित्तीय वर्ष में प्राप्त माल या सेवाओं के आईटीसी के ब्यौरे, किंतु उसका उपभोग आईटीसी चालू					
	वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर मास के लिए या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, फाइल की गई विवरणियों में किया गया था, यहां घोषित					
	किए जाएंगे, प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क) का इन ब्यौरों को फाइल किए जाने हेतु उपयोग किया जा सकेगा ।					

7. भाग VI में अन्य सूचना के ब्यौरे हैं । भाग 6 को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए अनुसार है :

सारणी सं.	अनुदेश					
15 क, 15 ख, 15 ग और 15 घ	दावा किए गए, स्वीकृत, अस्वीकृत और प्रसंस्करण के लिए लंबित प्रतिदाय के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी। दावा किया गया प्रतिदाय वित्तीय वर्ष में फाईल किए गए सभी प्रतिदाय दावों का समग्र मूल्य होगा और इसके अंतर्गत वह प्रतिदाय हैं, जिन्हें स्वीकार किया गया है, अस्वीकार किया गया है या जो प्रसंस्करण के लिए लंबित हैं। स्वीकृत प्रतिदाय से सभी प्रतिदाय स्वीकृति आदेशों का समग्र मूल्य अभिप्रेत है। लंबित प्रतिदाय सभी प्रतिदाय आवेदनों, जिनके लिए अभिस्वीकृति प्राप्त की गई है, की समग्र रकम होगी और इसके अंतर्गत प्राप्त अनंतिम प्रतिदाय नहीं है। इसके अंतर्गत गैर-जीएस प्रतिदाय दावों के ब्यौरे नहीं है।					
1 5ड., 15च और 15 छ	ऐसे करों की मांगों के कुल मूल्य, जिसके लिए मांगों की पृष्टि करने वाला आदेश न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा । पृष्ट की गई मांग के कुल मूल्य पर संदत्त करों का समग्र मूल्य की, जो ऊपर 15ड. में घोषित किया गया है की घोषणा की जाएगी । उपरोक्त 15ड. में लंबित वसूली की मांगों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।					
1 6 	संरचना करदाताओं से प्राप्त प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा । प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 5 का उपयोग इन ब्यौरों को भरने के लिए किया जा सकेगा ।					
1 6ख	माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धार 143 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के निबंधनानुसार मालिक से फुटकर कामगारों तक सभी समझे गए प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।					
1 6ग	ऐसे मालों के लिए, जिन्हें अनुमोदन आधार पर भेजा गया था किन्तु ऐसे प्रदाय के एक सौ अस्सी दिन के भीतर प्रधान प्रदायकर्ता को वापस नहीं लौटाया गया था, सभी समझे गए प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।					
1 7 और 18	विशिष्ट एचएसएन के प्रति किए गए और प्राप्त किए गए प्रदायों का सार केवल इस सारणी में रिपोर्ट किया जाए । यह उन करदाताओं के लिए वैकल्पिक होगा, जिनका वार्षिक आवर्त 1.50 करोड़ रुपए तक है । यह ऐसे करदाताओं के लिए दो अंकों वाले स्तर पर एचएसएन कोड को रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा जिनका पूर्ववर्ती वर्ष में वार्षिक आवर्त 1.50 करोड़ रुपए है किन्तु 5.00 करोड़ रुपए तक है और चार अंकों वाले स्तर पर उन करदाताओं के लिए, जिनका वार्षिक आवर्त 5.00 करोड़ रुपए से अधिक है । माल के प्रदाय के लिए यूक्यूसी ब्यौरे ही प्रस्तुत किए जाएं । मात्रा विवरणियों के कुल योग के रूप में रिपोर्ट की जानी है । सारणी-17 में के ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप रिपोर्ट जीएसटीआर-1 की सारणी 12 का उपयोग किया जा सकेगा ।					
1 9	विलंब फीस संदेय होगी, यदि वास्तविक विवरणी देय तारीख के पश्चात् फाइल की जाती है ।					

उपाबंध-ख

संरचना करदाताओं के लिए वार्षिक विवरणी

_	रारवना कर्याताम क राष्ट्र याचक विवरण					
	प्ररूप जीएसटीआर-१क					
	(नियम 80 देखिए)					
	वार्षिक विवरण (संरचना करदाता के लिए)					
	भाग. ।		आधारिक ब्यौ	रि		
	1	वित्तीय वर्ष				
	2	2 जीएसटीआर आईएन				
	3क	उक विधिक नाम <स्व>				
	3ख	उख व्यवसाय नाम (यदि कोई हो) <स्व>				
	4	वर्ष (सेतक) के दौरान	संरचना स्कीम की अवधि			
	5	पूर्व वित्तीय वर्ष का कुल आवत	f			

(सभी सारणियों में रुपए में रकम)

	(सभी सारणियों में रुपए में रकम)						
भाग. II	वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई विवरणियों में घोषित जावक और आवर्त प्रदायों के ब्यै				ब्यौरे		
	वर्णन	आवर्त	कर की दर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6	7
6	ऐसे जावक प्रदायों के ब्यो यथाघोषित कर संदेय है	रे जिस पर,	वित्तीयवर्ष	के दौ	रान फाइल व	की गई वि व	वरणियों में
क	कराधेय						
ख	छूट प्राप्त, शून्य दर						
ग	कुल						
7	ऐसे आवक प्रदायों के ब्यौरे, प्रतिलोम प्रभार आधार (नामे न					ाई विवरणिय	ों में घोषित
	विवरण	कराधेय मूल्य	केंद्रीय व	क र	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3		4	5	6
क	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय						
ख	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय						
ग	सेवाओं का आयात						
घ	उपरोक्त (क), (ख) और (ग) पर संदेय शुद्ध कर						
8	वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल व	ग्री गई विवरणिय	में में यथाघो	षित अन	य आवक प्रदाय	ों के ब्यौरे	
क	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक प्रदाय (उपरोक्त 7क से भिन्न)						
ख	माल का आयात						

भाग III	वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई विवरणियों में यथा घोषित संदत्त कर के ब्यौरे							
9	वर्णन	कुल संदेय कर	संदत्त					
	1	2	3					
	एकीकृत कर							
	केंद्रीय कर							
	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर							
	उपकर							
	ब्याज							
	विलंब फीस							
	शास्ति							

भाग. IV	चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर की या पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी के फाईल किए जाने की तारीख तक इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, विवरणियो में घोषित पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए संव्यवहारों की विशिष्टियां						
	वर्णन	आवर्त	केंद्रीय कर	राज्य कर/ संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	
	1	2	3	4	5	6	
10	संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रदायों/कर						
10	(जावक) (+) (नामे नोटों का योग)						
	संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रतिलोम						
11	प्रभार के लिए दायी आवक् प्रदाय (+) (नामे						
	नोटों का योग)						
12	संशोधनों के माध्यम से कटौती किए गए						
·	प्रदाय/कर (जावक) (-) (जमा पत्रों का योग)						
12	संशोधनों के माध्यम से कटौती किए गए प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय						
13	प्रांतलाम प्रमार के लिए दाया आवक प्रदाय (-) (जमा पत्रों का योग)						
14	उपरोक्त 10, 11, 12 और 13	में की ग	गई घोषणा	के मद्दे संदत्त अ	। ांतरीय कर		
	वर्णन		संदेय		संदत्त		
	1			2	(3	
	एकीकृत कर						
	केंद्रीय कर						
	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर						
	उपकर						
	ब्याज						

भाग. ∨	अन्य जानकारी										
15			वेशिष्टियां								
	वर्णन	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	ब्याज	शास्ति	विलंब फीस/अन्य				
	1	2	3	4	5	6	7	8			
क	दावा किया गया कुल प्रतिदाय										
ख	स्वीकृत कुल प्रतिदाय										
ग	अस्वीकृत कुल प्रतिदाय										
घ	लंबित कुल प्रतिदाय										
ਭ.	करों की कुल मांग										
च	उपरोक्त ड. के संबंध में संदत्त कुल कर										
छ	उपरोक्त ड. के कारण लंबित कुल मांग										
16			उलटा गया या र	उपभुक्त प्रत्य	य के ब्यौ	रे					
	वर्णन				केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत	उपकर			
		1			2	3	4	5			
क	संरचना स्कीम में विव	न्त्य लेने प	र उलटा गया प्र	त्यय (-)							
ख	संरचना स्कीम के कारण	। विकल्प ल									
17		_ (संदेय और	संदत्त विलंब		• >					
		वर्णन			,	संदेय		इत्त			
		1	.			2	3	3			
<u>क</u>		केंद्रीय क									
ख		राज्य कर									

सत्यापन

मैं सत्यिनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें से कोई बात छिपाई नहीं गई है और आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती की दशा में, उसका फायदा प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को संक्रान्त कर दिया गया है/कर दिया जाएगा।

स्थान : हस्ताक्षर तारीख : प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम पदनाम/प्रास्थिति

अनुदेश :--

- 1. जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के बीच की समयाविध के ब्यौरे इस विवरणी में उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- 2. भाग । में करदाता के आधारिक ब्यौरे अंतर्विष्ट हैं । भाग । को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी सं0	अनुदेश
5	पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्त उस वर्ष के, जिसके लिए विवरणी फाइल की जा रही है, पूर्व
	वित्तीय वर्ष का आवर्त है ।उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक विवरणी हेतु
	वित्तीय वर्ष 2016-17 के कुल आवर्त को इस सारणी में प्रविष्ट किया जाएगा। यह उसी स्थायी
	लेखा संख्यांक पर रजिस्ट्रीकृत सभी करदाताओं का आवर्त है ।

3. भाग II में उस वित्तीय वर्ष, जिसके लिए वार्षिक विवरणी फाइल की गई है, में सभी जावक और आवक प्रदायों के ब्यौरे हैं । भाग II को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी सं0	अनुदेश
6 क	सभी जावक प्रदायों का कुल मूल्य, कुल नामे नोटों/जमा पत्रों का योग, संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए
	अग्रिमों का योग और वापस किए गए माल का योग यहां घोषित किया जाएगा । इन ब्यौरों को
	भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 6 और सारणी 7 का उपयोग किया जा सकेगा ।
6 ख	छूट प्राप्त, शून्य दर और गैर-माल और सेवाकर प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।
7 क	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों का कुल मूल्य, जिस पर कर प्रतिलोम प्रभार
	आधार पर संदेय है, यहां घोषित किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-
	4 की सारणी 4ख, सारणी 5 और सारणी 8क का उपयोग किया जा सकेगा ।
7 ख	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों (सेवाओं के आयात से भिन्न) का कुल मूल्य,
	उलटे गए प्रभार के आधार पर संदेय है, यहां घोषित किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए
	प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 4ग, सारणी 5 और सारणी 8क का उपयोग किया जा सकेगा ।
7 ग	वित्तीय वर्ष के दौरान आयात की गई सभी सेवाओं का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा । इन
	ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 4घ और सारणी 5 का उपयोग किया
	जा सकेगा ।
8क	ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों का कुल मूल्य, जिस पर कर प्रदायकर्ता
	द्वारा संदेय है, यहां घोषित किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की
	सारणी 4क और सारणी 5 का उपयोग किया जा सकेगा ।
8 ख	वित्तीय वर्ष के दौरान आयात किए गए सभी माल का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।

4. भाग IV में चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर में या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरण फाईल करने की तारीख (उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष 2017-2018 के वार्षिक विवरणी में वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए अप्रैल से सितंबर में घोषित संव्यवहारों को घोषित किया जाएगा)। इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, कि विवरणी में पूर्व वित्तीय वर्ष के प्रदायों के लिए किए गए संशोधनों के ब्यौरे अंतर्विष्ट हैं। भाग V को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं:

सारणी सं0	अनुदेश
10 , 11, 12, 13	ऐसे किन्ही प्रदायों के परिवर्धनों या संशोधनों के ब्यौरे, जिन्हें पूर्व वित्तीय वर्ष की विवरणियों में
और 14	पहले घोषित किया गया था किन्तु ऐसे संशोधनों, चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर या पूर्व
	वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख तक इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, के
	प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 5 (आवक प्रदायों से संबंधित) या सारणी-7 (जावक प्रदायों से
	संबंधित) में दिए गए थे, यहां प्रस्तुत किए जाएंगे ।

5. भाग v में अन्य जानकारी के ब्यौरे हैं । भाग 5 को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं : `

सारणी सं0	अनुदेश
15 क, 15ख, 15ग और 15 घ	प्रसंस्करण के लिए दावाकृत, स्वीकृत, अस्वीकृत और लंबित प्रतिदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा । दावाकृत प्रदाय वित्तीय वर्ष में फाइल किए गए सभी प्रतिदाय दावों का कुल मूल्य होगा और इसमें ऐसे प्रतिदाय भी सम्मिलित होंगे जिन्हें प्रसंस्करण के लिए स्वीकृत, अस्वीकृत किया गया है या लंबित हैं । स्वीकृत प्रतिदाय से सभी प्रतिदाय स्वीकृति आदेशों का कुल मूल्य अभिप्रेत है । लंबित प्रतिदाय ऐसे सभी प्रतिदाय आवेदनों में कुल रकम होगी, जिनके लिए अभिस्वीकृति प्राप्त कर ली गई है और इसमें प्राप्त किया गया अनंतिम प्रतिदाय नहीं होगा । इनमें गैर-माल और
	सेवाकर प्रतिदाय दावों के ब्यौरे सम्मिलित नहीं होंगे ।
15 ड., 15च और 15 छ	ऐसे करों की मांगों के कुल मूल्य, जिसके लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा मांगों की पुष्टि करने वाला आदेश जारी किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा । उपरोक्त 15ड में पुष्ट की गई मांगों के कुल मूल्य में से संदत्त करों का संकलित मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।
16क	यदि कोई व्यक्ति संरचना स्कीम के अधीन कर देने का चयन करता है तो उलटे गए सभी प्रत्ययों का संकलित मूल्य यहां घोषित किया जाएगा । प्ररूप आईटीसी-03 में दिए गए ब्यौरों का उपयोग इन ब्यौरों को भरने के लिए किया जा सकेगा ।
16ख	यदि कोई व्यक्ति संरचना स्कीम के बाह्य कर देने का चयन करता है तो उपभोग किए सभी प्रत्ययों का संकलित मूल्य यहां घोषित किया जाएगा । प्ररूप आईटीसी-01 में दिए गए ब्यौरों का उपयोग इन ब्यौरों को भरने के लिए किया जा सकेगा ।
17	विलंब शुल्क देय होगा, यदि वास्तविक विवरणी देय तारीख के पश्चात् फाइल की जाती है ।

11. उक्त नियमावली के प्ररूप जीएसटी के ईडब्ल्यूबी-01 के टिप्पणों में क्रम संख्या 7 के नीचे सारणी के पहले स्तम्भ में कोड-4 के सामने दूसरे स्तम्भ में "एस.के.डी." या "सी.के.डी." अक्षरों और शब्दों के स्थानपर "एस.के.डी. या सी.के.डी. या बैचों या लॉटों में आप्रदाय " अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

[(सं० बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017 (खंड—3)2600)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, डॉ० प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

7 सितम्बर 2018

एस० ओ० 231, दिनांक 7 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

> [(सं० बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017 (खंड—3)2600)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, डॉ० प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

The 7th September 2018

S.O. 231 Dated 7th September 2018—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Eighth Amendment) Rules, 2018.
- (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force with effect from 4^{th} September 2018.
- 2. In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 22, in sub-rule (4), the following proviso shall be inserted, namely:-
 - "Provided that where the person instead of replying to the notice served under sub-rule (1) for contravention of the provisions contained in clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of section 29, furnishes all the pending returns and makes full payment of the tax dues along with applicable interest and late fee, the proper officer shall drop the proceedings and pass an order in **FORM GST-REG 20**."
- 3. In the said rules, in rule 36, in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely:-
 - "Provided that if the said document does not contain all the specified particulars but contains the details of the amount of tax charged, description of goods or services, total value of supply of goods or services or both, GSTIN of the supplier and recipient and place of supply in case of inter-State supply, input tax credit may be availed by such registered person.".
- 4. In the said rules, in rule 55, in sub-rule (5), after the words "completely knocked down condition", the words "or in batches or lots" shall be inserted.
- 5. In the said rules, in rule 89, in sub-rule (4), for clause (E), the following clause shall be substituted, namely:-
 - '(E) "Adjusted Total Turnover" means the sum total of the value of-
 - (a) the turnover in a State or a Union territory, as defined under clause (112) of section 2, excluding the turnover of services; and
 - (b) the turnover of zero-rated supply of services determined in terms of clause (D) above and non-zero-rated supply of services,

excluding-

- (i) the value of exempt supplies other than zero-rated supplies; and
- (ii) the turnover of supplies in respect of which refund is claimed under sub-rule (4A) or sub-rule (4B) or both, if any,

during the relevant period.'.

- 6. In the said rules, with effect from the 23^{rd} October, 2017, in rule 96, for sub-rule (10), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
 - "(10) The persons claiming refund of integrated tax paid on exports of goods or services should not have -
 - (a) received supplies on which the benefit of the Commercial Taxes Department notification No. S.O.-249 dated the 18th October, 2017 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, *vide* number 982, dated the 18th October, 2017 or notification No. 40/2017-State Tax (Rate), dated the 23rd October, 2017 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, *vide* number 996, dated the 23rd October, 2017 or notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 23rd

- October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 1321 (E), dated the 23rd October, 2017 has been availed; or
- (b) availed the benefit under notification No. 78/2017-Customs, dated the 13th October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i),*vide* number G.S.R 1272(E), dated the 13th October, 2017 or notification No. 79/2017-Customs, dated the 13th October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i),*vide* number G.S.R 1299 (E), dated the 13th October, 2017.".
- 7. In the said rules, in rule 138A, in sub-rule (1), after the proviso the following proviso shall be inserted, namely:-
 - "Provided further that in case of imported goods, the person in charge of a conveyance shall also carry a copy of the bill of entry filed by the importer of such goods and shall indicate the number and date of the bill of entry in **Part A** of **FORM GST EWB-01**."
- 8. In the said rules, for **FORM GST REG-20**, the following **FORM** shall be substituted, namely:-

"FORM GST REG-20

[See rule 22(4)]

Reference No	Date -
То	
Name Address GSTIN/UIN	

Show Cause Notice No.

Order for dropping the proceedings for cancellation of registration

Date-

This has reference to your reply filed vide ARN ----- dated ---- in response to the show cause notice referred to above. Upon consideration of your reply and/or submissions made during hearing, the proceedings initiated for cancellation of registration stands vacated for the following reasons:

<<text>>

or

The above referred show cause notice was issued for contravention of the provisions of clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of section 29 of the Bihar Goods Services Tax Act, 2017. As you have filed all the pending returns which were due on the date of issue of the aforesaid notice, and have made full

payment of tax along with applicable interest and late fee, the proceedings initiated for cancellation of registration are hereby dropped.

Signature
Place: < Name of the Officer>

Date: Designation
Jurisdiction ".

9. In the said rules, for **FORM GST ITC-04**, the following FORM shall be substituted, namely:-

"FORM GST ITC-04

[See rule 45(3)]

Details of goods/capital goods sent to job worker and received back

- 1. GSTIN -
- 2. (a) Legal name -
 - (b) Trade name, if any –
- 3. Period: Quarter -
- 4. Details of inputs/capital goods sent for jobwork (includes inputs/capital goods directly sent to place of business /premises of job worker)

Year -

GSTIN	<u>.</u>	te	on				Type of		Rate of	tax (%)	
/ State in case of unregistered job worker	Challan No.	Challan date	Descriptio of goods	noc	Quantity	Taxable value	goods (Inputs/ capital goods)	Central tax	State/ UT tax	Integrated tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	•										

- 5. Details of inputs/capital goods received back from job worker or sent out from business place of job work
 - (A) Details of inputs/ capital goods received back from job worker to whom such goods were sent for job work; and losses and wastes:

of job istered	l by been	ued er been	qs			o. ; job	ite ; job	=	Losse	
GSTIN / State of job worker if unregistered	Challan No. issued by job worker under which goods have been received back	Date of challan issued by job worker under which goods have been received back	Description of goods	ാർവ	Quantity	Original challan No. under which goods have been sent for job work	Original challan date under which goods have been sent for job work	Nature of job work done by job worker	noc	Quantity
1	2*	3*	4	5	6	7*	8*	9	10	11

(B) Details of inputs / capital goods received back from job worker other than the job worker to whom such goods were originally sent for job work; and losses and wastes:

GSTIN	Challan No. issued	Date of challan issued by				Original	Original		Losse	
/ State of job worker if unregis tered	by job worker under which goods have been received back	job worker under which goods have been received back	Description of goods	UQC	Quantity	challan No. under which goods have been sent for job work	challan date under which goods have been sent for job work	Nature of job work done by job worker	UQC	Quantity
1	2*	3*	4	5	6	7*	8*	9	10	11

(C) Details of inputs/ Capital goods sent to job worker and subsequently supplied from premises of job worker; and losses and wastes:

GSTIN /	Invoice No.	Invoice date				Original	Original	Nature	Loss	es &
State of job	in case	in case				challan no.	challan	of job	wastes	
worker if	supplied	supplied				under	date under	work		
unregistered	from	from	spoods			which	which	done by		
	premises of	premises of	80			goods	goods	job		
	job worker	job worker	Jo τ			have been	have been	worker		
	issued by	issued by	tion		>	sent for	sent for			>
	the	the	cri	()	ntit	job work	job work		7)	ntit
	Principal	Principal	Description	uqc	Quantity				UQC	Quantity
1	2	3	4	5	6	7*	8*	9	10	11
1	2	3	4)	0	, ,	8.	9	10	11

Instructions:

- 1. Multiple entry of items for single challan may be filled.
- 2. Columns (2) & (3) in Table (A) and Table (B) are mandatory in cases where fresh challan are required to be issued by the job worker. Otherwise, columns (2) & (3) in Table (A) and Table (B) are optional.
- 3. Columns (7) & (8) in Table (A), Table (B) and Table (C) may not be filled where one-to-one correspondence between goods sent for job work and goods received back after job work is not possible.

6. Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

	Signature
Place	Name of Authorised Signatory
Date	Designation /Status

"

10. In the said rules, after **FORM GSTR-8**, the following FORMS shall be inserted, namely:-

			FORM GSTR-9 (See rule 80) Annual Return				
Pt. I			Basic Details				
1	Financial Year						
2	GSTIN						
3A	Legal Name						
3B	Trade Name (if any)						
Pt. II		f Outward and i	nward supplies decl	ared during	g the finai	ncial year	
				(<i>A</i>	Amount in	☐ in all table	es)
	Nature of Sup	Taxable Value	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess	
	1		2	3	4	5	6
4	Details of advances, in returns filed during th			hich tax is	payable	as declared i	n
A	Supplies made to un-repersons (B2C)	gistered					
В	Supplies made to regist (B2B)						
С	Zero rated supply (Expo payment of tax (except SEZs)						
D	Supply to SEZs on pays	ment of tax					
Е	Deemed Exports						
F	Advances on which tax paid but invoice has no (not covered under (A)	t been issued					
G	Inward supplies on whi be paid on reverse char						
Н	Sub-total (A to G above	e)					
I	Credit Notes issued in r transactions specified in above (-)						
J	Debit Notes issued in respect of transactions specified in (B) to (E) above (+)						
K	Supplies / tax declared Amendments (+)	through					
L	Supplies / tax reduced t Amendments (-)	hrough					
M	Sub-total (I to L above)						
N	Supplies and advances is to be paid (H + M) al						

5	Details of Outward supplies on which financial year	ch tax is not payabl	e as declar	ed in retu	rns filed du	ring the
A	Zero rated supply (Export) without payment of tax					
В	Supply to SEZs without payment of tax					
С	Supplies on which tax is to be paid by the recipient on reverse charge basis					
D	Exempted					
Е	Nil Rated					
F	Non-GST supply					
G	Sub-total (A to F above)					
Н	Credit Notes issued in respect of transactions specified in A to F above (-)					
I	Debit Notes issued in respect of transactions specified in A to F above (+)					
J	Supplies declared through Amendments (+)					
K	Supplies reduced through Amendments (-)					
L	Sub-Total (H to K above)					
M	Turnover on which tax is not to be paid (G + L above)					
N	Total Turnover (including advances) (4N + 5M - 4G above)					
Pt. III	Details of ITC as dec	clared in returns file	d during th	e financial	year	
	Description	Туре	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess
	1	2	3	4	5	6
	Details of ITC availed as	declared in returns	filed duri	ng the fin	ancial year	
6	Total amount of input tax credit availe	ed through FORM				
A	GSTR-3B (sum total of Table 4A of I		<auto></auto>	<auto></auto>	<auto></auto>	<auto></auto>
	Inward supplies (other than imports	Inputs				
В	and inward supplies liable to reverse charge but includes services	Capital Goods				
	received from SEZs)	Input Services				
	Inward supplies received from	Inputs				
C	unregistered persons liable to	Capital Goods				
С	reverse charge (other than B above)on which tax is paid & ITC availed	Input Services				
	Inward supplies received from	Inputs				
D	registered persons liable to reverse	Capital Goods				
D	charge (other than B above) on which tax is paid and ITC availed	Input Services				

Е	Import of goods (including supplies from SEZs)	Inputs Capital Goods				
F	Import of services (excluding inward s SEZs)					
G	Input Tax credit received from ISD					
Н	Amount of ITC reclaimed (other than the provisions of the Act	B above) under				
I	Sub-total (B to H above)					
J	Difference (I - A above)					
K	Transition Credit through TRAN-I (in if any)	cluding revisions				
L	Transition Credit through TRAN-II					
M	Any other ITC availed but not specifie	ed above				
N	Sub-total (K to M above)					
О	Total ITC availed (I+ N above)					
7	Details of ITC Reversed and Ineligi	ble ITC as declared	d in returr	s filed du	ring the fina	ncial
/ A	As per Rule 37					
B	As per Rule 39					
C	As per Rule 42					
D	As per Rule 43					
E	As per section 17(5)					
F	Reversal of TRAN-I credit					
G	Reversal of TRAN-II credit					
Н	Other reversals (pl. specify)					
I	Total ITC Reversed (A to H above)					
J	Net ITC Available for Utilization (60	- 7I)				
8	Oth	ner ITC related info	ormation			
A	ITC as per GSTR-2A(Table 3 & 5 the	reof)	<auto></auto>	<auto></auto>	<auto></auto>	<auto></auto>
В	ITC as per sum total of 6(B) and 6(H)	above	<auto></auto>			
С	ITC on inward supplies (other than im supplies liable to reverse charge but in received from SEZs) received during 2 availed during April to September, 20					
D	Difference [A-(B+C)]					
Е	ITC available but not availed (out of I	0)				
F	ITC available but ineligible (out of D)					
G	IGST paid on import of goods (includi SEZ)	ing supplies from				
Н	IGST credit availed on import of good above)	ls (as per 6(E)	<auto></auto>			
I	Difference (G-H)					
J	ITC available but not availed on importo I)					
K	Total ITC to be lapsed in current finant $(E+F+J)$	icial year	<auto></auto>	<auto></auto>	<auto></auto>	<auto></auto>
Pt. IV	Details of tax paid as of	leclared in returns fi	led during	the financi	al year	

	Description	Tax	Paidth	ough		Paid thro	ough ITC	
		Payab	le cas	h	Central	State Tax	Integrated	Cess
9	1	2	3		Tax 4	/ UT Tax	Tax 6	7
	Integrated Tax	2	3		4	3	0	/
	Central Tax							
	State/UT Tax							
	Cess							
	Interest							
	Late fee							
	Penalty							
	Other							
Pt. V	Particulars of the trar FY or up Descript	to date of fil	ing of annual 1			FY whichev al State		of current Cess
	1			2	3	4	5	6
10	Supplies / tax declare Amendments (+) (net		tes)					
11	Supplies / tax reduced Amendments (-) (net		tes)					
12		Reversal of ITC availed during previous financial year						
13	ITC availed for the principal year	ITC availed for the previous financial year						
14	Di	fferential ta	x paid on acco	unt of de	claration	in 10 & 11 at	oove	
		Description				Payable	Pai	d
					2	3		
	Integrated Tax							
	Central Tax							
	State/UT Tax							
	Cess	Cess						
	Interest							
Pt. VI		Other Information						
15	D. G.T.		articulars of I				D 14	T
	Details	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integra Tax		ss Interest	Penalty	Late Fee / Others
	1	2	3	4	5			
A	Total Refund claimed							
В	Total Refund sanctioned							

С	Total Ref	und							
D	Total Refi Pending	und							
Е	Total dem taxes	nand of							
F	Total taxe respect of								
G	Total dem pending o above								
16	Informat	ion on supplie		n composition to coods sent on app				under section	143 and
	Details		Taxable Value		entral Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess	
		1		2		3	4	5	6
A	Supplies received from Composition taxpayers								
В	Deemed s	upply under	Section 143						
С	Goods ser	nt on approva	l basis but not						
17				ise Summary of	outv	vard su	pplies		
HSN Code	UQC	Total Quantity	Taxable Value	Rate of Tax		ntral ax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess
1	2	3	4	5		6	7	8	9
18				Vise Summary o					
HSN Code	UQC	Total	Taxable	Rate of Tax		ntral ax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess
Code		Quantity	Value		1	ах	O I Tun		
Code 1	2	Quantity 3	Value 4	5		6	7	8	9
	2	•		5				8	9
	2	•	4	5 Late fee payabl		6		8	9
1	2	3	4			6 paid		8 Pai	
1		3	4			6 paid	7		d
1	2 Central Tax	3 ax	4 Description			6 paid	7 Payable	Pai	d

Verification:

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from and in case of any reduction in output tax liability the benefit thereof has been/will be passed on to the recipient of supply.

Place Date Name of Authorised Signatory
Date Designation / Status

Instructions: –

1. Terms used:

a. GSTIN: Goods and Services Tax Identification Number

b. UQC: Unit Quantity Code

c. HSN: Harmonized System of Nomenclature Code

2. The details for the period between July 2017 to March 2018 are to be provided in this return.

3. Part II consists of the details of all outward supplies & advances received during the financial year for which the annual return is filed. The details filled in Part II is a consolidation of all the supplies declared by the taxpayer in the returns filed during the financial year. The instructions to fill Part II are as follows:

ersons on details of as net of ong with may be
as net of ong with
ong with
may be
supplies
hese will
t include
ge basis.
e 4A and
has been
used for
shall be
etails.
h tax has
used for
d tax has
declared
etails.
of credit
e person
supplies
is levied
ll import
up these
P
· (4D)
tes (4B).
ies (4B), shall be
shall be
1

4J	Aggregate value of debit notes issued in respect of B to B supplies (4B), exports (4C), supplies to SEZs (4D) and deemed exports (4E) shall be declared here. Table 9B of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
4K & 4L	Details of amendments made to B to B supplies (4B), exports (4C), supplies to SEZs (4D) and deemed exports (4E), credit notes (4I), debit notes (4J) and refund vouchers shall be declared here. Table 9A and Table 9C of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
5A	Aggregate value of exports (except supplies to SEZs) on which tax has not been paid shall be declared here. Table 6A of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
5B	Aggregate value of supplies to SEZs on which tax has not been paid shall be declared here. Table 6B of GSTR-1 may be used for filling up these details.
5C	Aggregate value of supplies made to registered persons on which tax is payable by the recipient on reverse charge basis. Details of debit and credit notes are to be mentioned separately. Table 4B of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
5D, 5E and 5F	Aggregate value of exempted, Nil Rated and Non-GST supplies shall be declared here. Table 8 of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details. The value of "no supply" shall also be declared here.
5H	Aggregate value of credit notes issued in respect of supplies declared in 5A,5B,5C, 5D, 5E and 5F shall be declared here. Table 9B of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
51	Aggregate value of debit notes issued in respect of supplies declared in 5A,5B,5C, 5D, 5E and 5F shall be declared here. Table 9B of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
5J & 5K	Details of amendments made to exports (except supplies to SEZs) and supplies to SEZs on which tax has not been paid shall be declared here. Table 9A and Table 9C of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
5N	Total turnover including the sum of all the supplies (with additional supplies and amendments) on which tax is payable and tax is not payable shall be declared here. This shall also include amount of advances on which tax is paid but invoices have not been issued in the current year. However, this shall not include the aggregate value of inward supplies on which tax is paid by the recipient (i.e. by the person filing the annual return) on reverse charge basis.

4. Part III consists of the details of all input tax credit availed and reversed in the financial year for which the annual return is filed. The instructions to fill Part III are as follows:

Table No.	Instructions
6A	Total input tax credit availed in Table 4A of FORMGSTR-3B for the taxpayer
	would be auto-populated here.
6B	Aggregate value of input tax credit availed on all inward supplies except those
	on which tax is payable on reverse charge basis but includes supply of services
	received from SEZs shall be declared here. It may be noted that the total ITC
	availed is to be classified as ITC on inputs, capital goods and input services.
	Table 4(A)(5) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
	This shall not include ITC which was availed, reversed and then reclaimed in

	the ITC ledger. This is to be declared separately under 6(H) below.
6C	Aggregate value of input tax credit availed on all inward supplies received
00	from unregistered persons (other than import of services) on which tax is
	payable on reverse charge basis shall be declared here. It may be noted that the
	total ITC availed is to be classified as ITC on inputs, capital goods and input
	services. Table 4(A)(3) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these
	details.
6D	Aggregate value of input tax credit availed on all inward supplies received
	from registered persons on which tax is payable on reverse charge basis shall
	be declared here. It may be noted that the total ITC availed is to be classified
	as ITC on inputs, capital goods and input services. Table 4(A)(3) of FORM
	GSTR-3B may be used for filling up these details.
6E	Details of input tax credit availed on import of goods including supply of
	goods received from SEZs shall be declared here. It may be noted that the total
	ITC availed is to be classified as ITC on inputs and capital goods. Table
	4(A)(1) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
6F	Details of input tax credit availed on import of services (excluding inward
	supplies from SEZs) shall be declared here. Table 4(A)(2) of FORM GSTR-
	3B may be used for filling up these details.
6G	Aggregate value of input tax credit received from input service distributor
00	shall be declared here. Table 4(A)(4) of FORM GSTR-3B may be used for
CII	filling up these details.
6H	Aggregate value of input tax credit availed, reversed and reclaimed under the
	provisions of the Act shall be declared here.
6J	The difference between the total amount of input tax credit availed through
	FORM GSTR-3B and input tax credit declared in row B to H shall be declared
	here. Ideally, this amount should be zero.
6K	Details of transition credit received in the electronic credit ledger on filing of
	FORM GST TRAN-I including revision of TRAN-I (whether upwards or
	downwards), if any shall be declared here.
6L	Details of transition credit received in the electronic credit ledger after filing
	of FORM GST TRAN-II shall be declared here.
6M	Details of ITC availed but not covered in any of heads specified under 6B to
	6L above shall be declared here. Details of ITC availed through FORM ITC-
	01 and FORM ITC-02 in the financial year shall be declared here.
7A, 7B, 7C,	Details of input tax credit reversed due to ineligibility or reversals required
7D, 7E, 7F,	under rule 37, 39,42 and 43 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017
7G and 7H	shall be declared here. This column should also contain details of any input
/ 5 4114 / 11	tax credit reversed under section 17(5) of the Bihar Goods and Services Tax
	Act, 2017 and details of ineligible transition credit claimed under FORM GST
	TRAN-I or FORM GST TRAN-II and then subsequently reversed. Table 4(B)
	of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details. Any ITC
0.4	reversed through FORM ITC -03 shall be declared in 7H.
8A	The total credit available for inwards supplies (other than imports and inwards
	supplies liable to reverse charge but includes services received from SEZs)
	received during 2017-18 and reflected in FORM GSTR-2A (table 3 & 5 only)
	shall be auto-populated in this table. This would be the aggregate of all the
	input tax credit that has been declared by the corresponding suppliers in their

8B	The input tax credit as declared in Table 6B and 6Hshall be auto-populated
	here.
8C	Aggregate value of input tax credit availed on all inward supplies (except those on which tax is payable on reverse charge basis but includes supply of services received from SEZs) received during July 2017 to March 2018 but credit on which was availed between April to September 2018 shall be declared here. Table 4(A)(5) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
8E & 8F	Aggregate value of the input tax credit which was available in FORM GSTR-2A(table 3 & 5 only) but not availed in any of the FORM GSTR-3B returns shall be declared here. The credit shall be classified as credit which was available and not availed or the credit was not availed as the same was ineligible. The sum total of both the rows should be equal to difference in 8D.
8G	Aggregate value of IGST paid at the time of imports (including imports from SEZs) during the financial year shall be declared here.
8H	The input tax credit as declared in Table 6E shall be auto-populated here.
8K	The total input tax credit which shall lapse for the current financial year shall be computed in this row.

- 5. Part IV is the actual tax paid during the financial year. Payment of tax under Table 6.1 of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
 - 6. Part V consists of particulars of transactions for the previous financial year but declared in the returns of April to September of current FY or date of filing of Annual Return for previous financial year (for example in the annual return for the FY 2017-18, the transactions declared in April to September 2018 for the FY 2017-18 shall be declared), whichever is earlier. The instructions to fill Part V are as follows:

Table No.	Instructions				
10 & 11	Details of additions or amendments to any of the supplies already declared in				
	the returns of the previous financial year but such amendments were furnished				
	in Table 9A, Table 9B and Table 9C of FORM GSTR-1 of April to September				
	of the current financial year or date of filing of Annual Return for the previous				
	financial year, whichever is earlier shall be declared here.				
12	Aggregate value of reversal of ITC which was availed in the previous				
	financial year but reversed in returns filed for the months of April to				
	September of the current financial year or date of filing of Annual Return for				
	previous financial year, whichever is earlier shall be declared here. Table				
	4(B) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.				
13	Details of ITC for goods or services received in the previous financial year but				
	ITC for the same was availed in returns filed for the months of April to				
	September of the current financial year or date of filing of Annual Return for				
	the previous financial year whichever is earlier shall be declared here. Table				
	4(A) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.				

7. Part VI consists of details of other information. The instructions to fill Part VI are as follows:

Table No.	Instructions
15A,	Aggregate value of refunds claimed, sanctioned, rejected and pending for
15B,	processing shall be declared here. Refund claimed will be the aggregate value
15C and	of all the refund claims filed in the financial year and will include refunds
15D	which have been sanctioned, rejected or are pending for processing. Refund
	sanctioned means the aggregate value of all refund sanction orders. Refund
	pending will be the aggregate amount in all refund application for which
	acknowledgement has been received and will exclude provisional refunds
	received. These will not include details of non-GST refund claims.
15E, 15F	Aggregate value of demands of taxes for which an order confirming the
and 15G	demand has been issued by the adjudicating authority shall be declared here.
	Aggregate value of taxes paid out of the total value of confirmed demand as
	declared in 15E above shall be declared here. Aggregate value of demands
16A	pending recovery out of 15E above shall be declared here. Aggregate value of supplies received from composition taxpayers shall be
10A	declared here. Table 5 of FORM GSTR-3B may be used for filling up these
	details.
16B	Aggregate value of all deemed supplies from the principal to the job-worker in
	terms of sub-section (3) and sub-section (4) of Section 143 of the CGST Act
	shall be declared here.
16C	Aggregate value of all deemed supplies for goods which were sent on
	approval basis but were not returned to the principal supplier within one
	eighty days of such supply shall be declared here.
17 & 18	Summary of supplies effected and received against a particular HSN code to
	be reported only in this table. It will be optional for taxpayers having annual
	turnover upto ₹ 1.50 Cr. It will be mandatory to report HSN code at two digits
	level for taxpayers having annual turnover in the preceding year above ₹ 1.50
	Cr but upto ₹ 5.00 Cr and at four digits' level for taxpayers having annual
	turnover above ₹ 5.00 Cr. UQC details to be furnished only for supply of
	goods. Quantity is to be reported net of returns. Table 12 of FORM GSTR-
	1 may be used for filling up details in Table 17.
19	Late fee will be payable if annual return is filed after the due date.

	FORM GSTR-9A (See rule 80) Annual Return (For Composition Taxpayer)						
Pt. I	Basic Details						
1	Financial Year						
2	GSTIN						
3A	Legal Name	<auto></auto>					
3B	Trade Name (if any) <auto></auto>						
	Period of composition s	cheme during the year					
4	(From To)						
5	Aggregate Turnover of Previous Financial Year						
		(Amount in ₹ in all tables)					

Pt. II	Details of outwa	rd and inward	supplies decla	ared in retur	ns filed during	the financial v	ear
	Description	Turnover	Rate of Tax	Central Tax	State / UT Tax	Integrated tax	Cess
	1	2	3	4	5	6	7
6	Details of Outward su	h tax is payab ye		red in returns fi	led during the	financial	
A	Taxable						
В	Exempted, Nil-rated						
C	Total						
7	Details of inward supp		tax is payable returns filed			net of debit/cred	lit notes)
	Description	Taxable Value	Centra	l Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess
	1	2	3		4	5	6
A	Inward supplies liable to reverse charge received from registered persons						
В	Inward supplies liable to reverse charge received from unregistered persons						
С	Import of services						
D	Net Tax Payable on (A), (B) and (C) above						
8		r inward suppl	ies as declare	d in returns	filed during th	e financial yea	r
A	Inward supplies from registered persons (other than 7A above)						
В	Import of Goods						
Pt. III	Details	of tax paid as o	declared in re	turns filed d	luring the finan	icial year	
9	Description	ı	Total tax	payable	Paid		
	1		2		3	3	
	Integrated Tax						
	Central Tax						
	State/UT Tax						
	Cess						
	Interest						
	Late fee Penalty						
Pt. IV		date of filing of	of annual retu	rn of previo	us FY whiche	ver is earlier	
	Description	l	Turnover	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess
	1		2	3	4	5	6
10	Supplies / tax (outward) through Amendments (+ debit notes)						

	Inward supplies liable to	o reverse		1		Ì			
11	charge declared through	l							
·	Amendments (+) (net of		s)						
12	Supplies / tax (outward) reduced through								
12	Amendments (-) (net of credit notes)								
	Inward supplies liable to	reverse							
13	charge reduced through Amendments (-) (net of	credit note	25)						
14			on account of	declaration	mac	de in 10	11 12	& 13 above	
- 1		cription	on account of			ayable	, 11, 12	Pai	id
	200	1				2		3	-
	Integrated Tax								
	Central Tax								
	State/UT Tax								
·	Cess								
·	Interest								
Pt. V			Other	r Informatio	on				
15		F	Particulars of 1	Demands a	nd R	efunds			
	Description	Central	State Tax	Integrate	d	Cess	Intere	est Penalty	Late Fee
		Tax	/ UT Tax	Tax					/ Others
	1	2	3	4		5	6	7	8
	_	_	3	7		J		,	
A	Total Refund claimed								
В	Total Refund sanctioned								
C	Total Refund Rejected								
D	Total Refund Pending								
Е	Total demand of taxes								
	Total taxes paid in				+				
F	respect of E above								
G	Total demands pending out of E								
	above								
16	Details of credit reversed or availed Description Central State Tax / Integrated Cess					Cess			
	Description			Ta			Tax /	Integrated Tax	Cess
	1			2		:	3	4	5
	Credit reversed on opting scheme (-)	g in the co	mposition						
A	Credit availed on opting	out of the	composition						
В	scheme (+)	; out of the	composition						
ע	(1)					İ		İ	1

17	Late fee payable and paid				
	Description	Payable	Paid		
	1	2	3		
A	Central Tax				
В	State Tax				

Verification:

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from and in case of any reduction in output tax liability the benefit thereof has been/will be passed on to the recipient of supply.

Place Date Signature Name of Authorised Signatory Designation / Status

Instructions: –

- 1. The details for the period between July 2017 to March 2018 shall be provided in this return.
- 2. Part I consists of basic details of taxpayer. The instructions to fill Part I are as follows:

Table No.	Instructions
5	Aggregate turnover for the previous financial year is the turnover of the
	financial year previous to the year for which the return is being filed. For
	example for the annual return for FY 2017-18, the aggregate turnover of FY
	2016-17 shall be entered into this table. It is the sum total of turnover of all
	taxpayers registered on the same PAN.

3. Part II consists of the details of all outward and inward supplies in the financial year for which the annual return is filed. The instructions to fill Part II are as follows:

Table No.	Instructions
6A	Aggregate value of all outward supplies net of debit notes / credit notes, net of
	advances and net of goods returned for the entire financial year shall be
	declared here. Table 6 and Table 7 of FORM GSTR-4 may be used for filling
	up these details.
6B	Aggregate value of exempted, Nil Rated and Non-GST supplies shall be
	declared here.
7A	Aggregate value of all inward supplies received from registered persons on
	which tax is payable on reverse charge basis shall be declared here. Table 4B,
	Table 5 and Table 8A of FORM GSTR-4 may be used for filling up these
	details.
7B	Aggregate value of all inward supplies received from unregistered persons
	(other than import of services) on which tax is payable on reverse charge basis
	shall be declared here. Table 4C, Table 5 and Table 8A of FORM GSTR-4
	may be used for filling up these details.

7C	Aggregate value of all services imported during the financial year shall be declared here. Table 4D and Table 5 of FORM GSTR-4 may be used for
	filling up these details.
8A	Aggregate value of all inward supplies received from registered persons on
	which tax is payable by the supplier shall be declared here. Table 4A and
	Table 5 of FORM GSTR-4 may be used for filling up these details.
8B	Aggregate value of all goods imported during the financial year shall be
	declared here.

4. Part IV consists of the details of amendments made for the supplies of the previous financial year in the returns of April to September of the current FY or date of filing of Annual Return for previous financial year (for example in the annual return for the FY 2017-18, the transactions declared in April to September 2018 for the FY 2017-18 shall be declared), whichever is earlier. The instructions to fill Part V are as follows:

Table No.	Instructions
	Details of additions or amendments to any of the supplies already declared in
10,11,12,13	the returns of the previous financial year but such amendments were
and 14	furnished in Table 5 (relating to inward supplies) or Table 7(relating to
	outward supplies) of FORM GSTR- 4 of April to September of the current
	financial year or upto the date of filing of Annual Return for the previous
	financial year, whichever is earlier shall be declared here.

5. Part V consists of details of other information. The instruction to fill Part V are as follows:

Table No.	Instructions
15A, 15B,	Aggregate value of refunds claimed, sanctioned, rejected and pending for
15C and	processing shall be declared here. Refund claimed will be the aggregate
15D	value of all the refund claims filed in the financial year and will include
	refunds which have been sanctioned, rejected or are pending for processing.
	Refund sanctioned means the aggregate value of all refund sanction orders.
	Refund pending will be the aggregate amount in all refund application for
	which acknowledgement has been received and will exclude provisional
	refunds received. These will not include details of non-GST refund claims.
15E, 15F	Aggregate value of demands of taxes for which an order confirming the
and 15G	demand has been issued by the adjudicating authority has been issued shall
	be declared here. Aggregate value of taxes paid out of the total value of
	confirmed demand in 15E above shall be declared here. Aggregate value of
	demands pending recovery out of 15E above shall be declared here.
16A	Aggregate value of all credit reversed when a person opts to pay tax under
	the composition scheme shall be declared here. The details furnished in
	FORM ITC-03 may be used for filling up these details.
16B	Aggregate value of all the credit availed when a registered person opts out of
	the composition scheme shall be declared here. The details furnished in
	FORM ITC-01 may be used for filling up these details.
17	Late fee will be payable if annual return is filed after the due date.";

11. In the said rules, in **FORM GST EWB-01**, in the Notes, in serial number 7, in the Table, against Code 4 in the first column, for the letters and word "SKD or CKD" in the second column, the letters and words "SKD or CKD or supply in batches or lots" shall be substituted.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-3) 2600)]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 828-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in